मोहन लाल और अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य अपने सचिव,

उत्पाद और कराधान विभाग, सरकारी सचिवालय,

शिमला-2, एवं अन्य के माध्यम से।

[के. रामास्वामी और जी. टी. नानावती, न्यायामूर्ति]

सेवा कानूनः

हिमाचल प्रदेश उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग निरिक्षणालय कर्मचारी तृतीय श्रेणी सेवा (वरिष्ठता) नियम/हिमाचल प्रदेश उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग (निरिक्षणालय कर्मचारी वर्ग तृतीय) (परीक्षा) नियमः

नियम 11/नियम 4-आबकारी और कराधान निरीक्षकों की सीधी भर्ती-वरिष्ठता नियुक्ति के बाद दो साल के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी उम्मीदवार जो नियुक्ति के दो साल बाद परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं-अभिर्निधारि किया, उनकी वरिष्ठता की गणना उनके परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से की जाएगी।

ईश्वरी कुमार और अन्य **बनाम** *हि. प्र. राज्य* **(सी. ए. सं. 4258/92) 24 मार्च, 1994 को तय किया गया, जिसका उल्लेख किया गया है।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1997 के सिविल अपील सं. 2417

1995 के ओ. ए. सं. 788 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण, शिमला के दिनांकित 28.10.96 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों की ओर से अरुण जेटली और सुश्री कामिनी जैसवाल।

उत्तरदाताओं के ओर से ओ. पी. शर्मा, आर. सी. गोब्रेले, के. आर. गुप्ता, विवेक शर्मा, अशोक सूदन, श्रीमती ननीता शर्मा।

उत्तरदाताओ संख्या 18-20 और 25 क लिए ए.के.सीकरी और श्रीमति मधु सीकारी।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

अनुमति दे दी गई। हमने दोनों पक्षों की विद्वान वकील को सुना है।

यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा हि.प्र. प्रशासनिक अधिकरण के 28 अक्टूबर, 1996 को ओ.ए. संख्या 788/95 में दिए आदेश के तहत की गई है।

इस मामले में सीधी भर्ती वालों की आपसी वरिष्ठता का निर्घारण की एकमात्र प्रश्न है। अपीलकर्त्ताओं और उत्तरदाताओं को हि. प्र. उत्पाद शुल्क और करावास विभाग निरीक्षणालय कर्मचारी, श्रेणी-3 सेवा में उत्पादक शुल्क और काराधान निरीक्षकों के स्थायी पदो में रिकितयों के सीधी भर्ती द्वारा चुना गया था। यह प्रश्न नियम 4 (परीक्षा) के साथ पढ़े गए (वरिष्ठता) सेवा नियमों के नियम 11 की व्याख्या से संबंधित है। यह है कि क्या परीक्षा परिवीक्षा पर नियुक्ति की तारीख से दो साल के भीतर या चार साल की विस्तारित अवधि के भीतर उत्तीर्ण की जानी है? यदि कोई उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो साल के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करता है और कर्तव्य में शामिल होता है, तो निर्विवाद रूप से नियमों के नियम 11 (3) के तहत, परिवीक्षा की समाप्ति पर पुष्टि पर, वरिष्ठता नियुक्ति की तारीख से संबंधित है। ऐसी स्थिति जहां उम्मीदवार दो साल के भीतर लेकिन चार साल की विस्तारित अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है, नियम 11 के उप-नियम (3) के प्रावधान के तहत निपटा जाता है जो इस प्रकार हैः

"11 (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर और निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियुक्ति प्राधिकारी

(क) यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाता है।

(i) ऐसे व्यक्ति की उसकी नियुक्ति की तारीख से पुष्टि करें यदि - स्थायी रिक्ति पर नियुक्त; हुआ है या

(ii) उस तारीख से ऐसे व्यक्ति की पुष्टि करें जिस तारीख से वह स्थायी है। यदि एक अस्थायी रिक्ति के विरुद् नियुक्त किया जाता है; या

(iii) घोषणा करें कि उसने अपनी परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है यदि - कोई स्थायी रिक्ति नहीं है, या

(ख) आचरण उसकी राय में संतोषजनक नहीं रहा है, और निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीण न करने की स्थिति में

(i) यदि प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवाओं को समाप्त करें। या यदि अन्यथा नियुक्त किया जाता है तो उसे अपने पूर्व पद पर वापस कर दें, या उसकी पिछली नियुक्ति के नियमों और शर्तों के तहत इसे अन्य तरीके से निपटा जाए अनुमति दिया जाए या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि का विस्तार करना और उसके बाद ऐसे आदेश पारित करेगा। जैसा कि यह परिवीक्षा की पहली अवधि की समाप्ति पर पारित हो सकता था यह विभागीय परिक्षाओं पर भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होगा।

बशर्ते कि परिवीक्षा की कुल अवधि और विस्तार सहित विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए अनुमत समय, यदि कोई हो, तो चार साल से अधिक नहीं होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासनिक अधिकरण द्वारा कई आदेश पारित किए गए और उनमें से एक का निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिया गया। मुकदमे के पहले दौर में जिसमें एक सूद आवेदक था, अधिकरण ने निर्णय दिया था कि वरिष्ठता उन लोगों को प्रदान की जाएगी जो सेवा में शामिल होने की तारीख से दो साल के भीतर उत्तीर्ण हुए हैं और जो बाद में होगे, वे उनके कनिष्ठ होगे। मोहन लाल और अन्य के मामले में। मुकदमे के दूसरे समूह में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जो दो साल के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, उन्हें पद में शामिल होने की तारीख से वरिष्ठता मिलेगी और जो चार साल की विस्तारित अवधि के भीतर उत्तीर्ण होंगे, उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण होने की तारीख से आपसी वरिष्ठता का दर्जा दिया जाएगा। उन लोगों के मामले में जिन्होंने चार साल की विस्तारित अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, राज्य सरकार के लिए उनकी सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार होगा। या ऐसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। पहला मुकदमा इस अदालत में पहुंच गया है। ईश्वरी कुमार और अन्य बनाम राज्य [सी. ए. सं. 4258/92] में यह न्यायालय ने 24 मार्च, 1994 को निर्णय लिया था कि जिन उम्मीदवारों ने दो साल के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण की और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पुष्टि की गई, उन्हें पद पर शामिल होने की संबंधित तिथियों से वरिष्ठता मिलेगी और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख नियुक्ति की तारीख से संबंधित होगी। लेकिन वे जो उक्त दो वर्षों के बाद परीक्षा उत्तीर्ण करता है, उसे उत्तीर्ण होने की तारीख से वरिष्ठता मिलेगी और दो वर्षों के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की तुलना में कनिष्ठ रैंक प्राप्त करेगा। इस अपील में, मुकदमेबाजी के तीसरे सेट में, सवाल उठता हैः क्या चार मौके लेकर दो साल के भीतर परीक्षा पास करने की अवधि अनिवार्य है या नहीं? इस संबंध में, नियमों के नियम 11 को पढ़ना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैः

"11. (1) सेवा में नियुक्त व्यक्ति दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

बशर्ते कि

(क) पदधारी नियुक्ति के दो साल के भीतर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विभागीय परीक्षओ को उत्तीर्ण करेगे और

(ख) सरकार अपवादात्मक मामलों में किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी या सभी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण करने से छूट दे सकती है।

आगे कहा गया है कि

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद संबंधित या उच्च पद पर प्रतिनयुक्ति पर बिताई गइ्र कोई भी अवधि परीवीक्षा की अवधी में गिनी जाएगी।

(ख) सेवा में स्थानाापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि परिवीक्षा पर खर्च की गई अवधि के रूप में गिना जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसमें स्थानापन्न किया है, परीविक्षा की निर्धारित अवधि पूरी हेने पर तब तक स्थायी होने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसे किसी स्थायी पद/रिक्त पद पर नियुक्त न किया गया है।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं है या वह अपनी नियुक्ति के दो साल के भीतर निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो वह -

(क) यदि ऐसे व्यक्ति को सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती किया गया है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाए। और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति को अन्यथा भर्ती किया जाता है।

(i) उसे अपने पूर्व पद पर वापस कर दें; या

(ii) उसके साथ इस तरह से अन्य तरीके से व्यवहार किया जाए जैसे कि पिछली नियुक्ति के नियम और शर्ते और पिछली नियुक्ति अनुमति की शर्तें अनुमति देता है।

(3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर एक व्यक्ति और किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने और निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियुक्ति प्राधिकारी कर सकता है-

निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए नियुक्ति प्राधिकरण

(क) यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाता है।

(i) यदि किसी स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया जाता है; तो ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुकित् की तारीख से पुष्टि की जाएगी या

(ii) ऐसे व्यक्ति को स्थायी रिक्ती होने की तारीख से पुष्टि करेगा य किसी अस्थायी रिक्ती पर दोबारा नियुक्त किया गया है, या

(iii) घोषणा करें कि उसने अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है। यदि उनकी कोई स्थायी रिक्ति नहीं है, या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक नहीं रहा है और निर्धरित विभागीय परीक्षा उर्तीण न करने की स्थिति में

(i) यदि प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवओं को समाप्त करे। या यदि अन्यथा नियुत किया जाता हे तो उसे अपने पूर्व पद पर वापस कर दे, या उसकी पिछली नियुक्ति के नियमां और शर्तो के तहत इसे अन्य तरीके ही व्यवहार किया जाए अनुमति किया जाए या

(ii) उसकी परीवीक्षा अवधि का विस्तार करना और उसके बाद ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा कि यह परिवीक्षा की पहली अवधि की समाप्ति पर पारित हो सकता थाद्घ। यह विभागीय परिक्षओं पर भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होगा।

बशतें कि पीरवीक्षा की कुल अवधि और विस्तार सहित विभागीय परीक्षाओं को उतीर्ण करने के लिए अनुमत समय यदि कोई हो, तो चार साल से अधिक नहीं होगा।

इस नियम को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि किसी सेवा में नियुक्त व्यक्ति दे साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। पक्षकारों को जारी किए गए नियुक्ति पत्र शर्तों को इंगित करते हैं। शर्तो में से एक, अर्थात् शर्त संख्या (vi) की परिकल्पना निम्नानुसार की गई हैः

"(iv) उसे सेवा में शामिल होने के दो साल के भीतर आवकारी और कराधान दोनों के संबंध में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अन्यथा उसकी सेवाएँ समाप्त हो सकती है।

इसलिए, यह निर्दिष्ट करता है कि परिवीक्षा पर पद पर नियुक्त उम्मीदवार को ड्यूटी में शामिल होने के दो साल के भीतर आयकारी और कराधान दोनों के संबंध में विभागीय परीक्षा उर्त्तीण करनी होगी।

नियमों के नियम 4 में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

"4. परीक्षाओं का संचालनः

(i) हिमाचल प्रदेश के आबाकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी एवं काराधान निरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा वर्ष में दो बार अप्रैल के तीसरे सप्ताह एवं नबम्बर के पहले सप्ताह या ऐसी अन्यस तिथिसयसासें पर आयोजित की जाएगी,

जैसा कि आबकारी एवं काराधान आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राजपत्र में तिथियाँ और परीक्षा के स्थान को पहले ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।

(ii) उप उत्पाद एवं काराधान आयुक्त (उत्तर एवं दक्षिण जोन) प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी और 15 अगस्त से पहले या अंतिम परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन के एक महीने के भीतर, जो ीाी बाद में हो, उन अधिकारियों के नाम जो संबंधित विषयों के साथ परीक्षा देना चाहते है, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को भेजेगे।

(iii) परीक्षा के संचालन से संबंधित इस नियम को पढ़ने से यह परीक्षा हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयर लॉन, शिमला द्वारा आयोजित की जाएगी।

इंगित करें कि सरकार वर्ष में दो बार अप्रैल के तीसरे सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह के बीच, या ऐसी अन्य तिथियों पर परीक्षा आयोजित करेगी जो आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाती हैं। लोक प्रशासन संस्थान, शिमला द्वारा इस प्रकार आयोजित परीक्षा नियमों के नियम 4 के पैराग्राफ (ii) में निर्धारित तरीके से होगी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सरकार को वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करनी होती है और उम्मीदवारों को परिवीक्षा पर पद पर शामिल होने की तारीख से दो साल के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। यह नियम प्रत्येक उम्मीदवार को चार अवसर नहीं देता है। उन्हे दो साल के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने होगे। परिवीक्षा और उसकी घोषणा के सफल होने पर, उनकी वरिष्ठता नियुक्ति की तारीख से संबंधित होगी।

हम उन अभ्यर्थियों के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से चितित नहीं है, जिन्होने परिवीक्षा की निर्धात उसे वर्ष की अवधि या चार वर्ष की विस्तारित अवधि के भीतर परीक्षा उर्त्ीण नहीं की।

हम व्यक्ति के दो समूह के मामले से चितित है, यानी जिन्होने दो साल के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण की और अधिकारियों का एक और समूह जो दो साल के भीतर परीक्षा में उपस्थित हुए लेकिन दो साल से अधिक समय में परीक्षा उर्त्तीण की। यह एक ऐसा मामला है जिसमें उत्तरदाताओं ने स्वयं ओ.ए. में राहत मॉगी थी कि उनकी वरिष्ठता की गणना उनके विभागीय परीक्षा उर्त्तीण करने की तारीख से की जाएगी उन्होने अपने सेवा में शामिल होने की तारीख और परीक्षा उर्त्तीण करने की जानकारी दी है जिससे पता चलता है कि 1977 को इस पद पर आसीन हुए थे और उन्होंने 16 जुलाई 1979 को परीक्षा उर्त्तीण की थी। डी. आर. दीवान 5 जुलाई, 1979 को सेवा में शामिल हुए। जबकि उन्होंने 19 अक्टूबर, 1981 को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की। दूसरे शब्दों में, दो साल से अधिक।

प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्‌ान वरिष्ट वकील श्री ओ.पी.शर्मा का तर्क है कि उन्होंने जानकारी महीने में परीक्षा के लिए आवेदन किया था उनके आवेदन विधिवत अग्रेषित किए गए थे; परीक्षा अप्रैल में आयोजित किए जानी आवश्यक थी; इसके बजाय, वे मई के महीने में आयोजित किए गए थे और परिणाम अक्टूबर के महीने में घोषित किए गए थे और, इसलिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने में दो साल से अधिक समय की देरी के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। घोषित परिणामों के आलोक में और नियमों के संचालन के संबंध में आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं, के आलोक में सवाल यह हैः क्या उत्तरदाताओं संदिल और दीवान की वरिष्ठता उनकी परीक्षा उर्त्तीण करने की तारीख से या उनकी नियुक्ति की तारीख से संबंधित होगी? प्रार्थना के आलोक में उन्होने स्वयं यह निर्णय लिया है कि उनकी वरिष्ठता उनके परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथी से धोषित की जानी चाहिए और सेवा की शर्तो और नियम के संचालन के आलोक में हम मानते हे कि उनकी वरिष्ठता की गणना उनके परीक्षा उत्तीर्ण करने के तिथि से मानी जाएगी।

उपरोक्त प्रतिवादियों ने यह तर्क देने की मॉग की हे कि वे वर्ष 1963 और 1964 में लागू नियमों द्वारा शासित है और ये नियम उन पर लागू नहीं होते है। उस पर हमे कोई राय व्यक्त करने की जरुरत नहीं है। हमें सूचित किया गया कि मामला अधिकरण में लंबित है। यह अधिकरण का काम होगा कि वे कानून के मुताबित उनके दावों पर विचार करे।

तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं।

आर.पी. अपील की अनुमति दी गई।

राकेश सिन्हा